न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-४, झाँसी।

सत्र परीक्षण संख्या-१०२/२०१९

सरकार बनाम ऊधम सिंह आदि

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र सं०-१०बी व १२बी</u>

<u>दिनांक-१२.०२.२०२०</u>

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत है। अभियुक्तगण ऊधम गुर्जर, गौरव उर्फ मोंटी, कमलेश यादव व पुष्पेन्द्र गुर्जर उर्फ भूपेन्द्र सिंह जेल से उपस्थित आए।

अभियुक्तगण ऊधम सिंह व भूपेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र १०बी व १२बी पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त ऊधम सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र सं०-१०बी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ऊधम सिंह को उपरोक्त प्रकरण में रंजिशन, साजिशन झूंठा फंसा दिया गया है, जबकि प्रार्थी ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई भी अपराध नहीं किया है। धारा १४९ आई०पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त को विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रुप में दर्शाते हुए सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये किये गये अपराध जिसमें कि उसके द्वारा घातक आयुध से सज्जित होकर बल्बा कारित किया गया और हत्या व प्राणघातक हमले के साथ-साथ अपराधिक षडयंत्र का अपराध कारित करना बताया गया है, जो कि बिल्कुल असत्य तथ्यों पर आधारित है। तथाकथित घटना दिनांक-२१.०७.२०१८ को प्रार्थी/अभियुक्त ऊधम सिंह गुर्जर प्रातः १०.३० बजे तक आगरा जिला न्यायालय में उपस्थित रहा तथा न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र० क्षे०) आगरा में विचाराधीन एस एस टी नं०- ५०५/२०१४ राज्य बनाम देशराज आदि धारा ३६४ आई०पी०सी० थाना मलपुरा, आगरा एवं न्यायालय स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) आगरा उ०प्र० में विचाराधीन जी०एस०टी० नम्बर-६१/१५ सरकार बनाम देशराज आदि धारा-२/३ गैंगस्टर एक्ट थाना मलपुरा, आगरा में दिनांक-२१.०६.२०१८ तारीख पेशी नियत थी तथा अभियुक्त ऊधम दिनांक- २१.०७.२०१८ को उपरोक्त अंकित दोनों वादों में हाजिर अदालत रहा तथा आदेश पर स्वयं हस्ताक्षर बनाये है, जिससे यह साबित है कि एफ०आई०आर० एवं चक्षुदर्शी साक्षी एवं मजरुबों द्वारा दिए गये बयान दि०-२२.०७.२०१८ व २७.७.२०१८ असत्य है। सम्पूर्ण विवेचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक-२१.०७.२०१८ को किस प्रकार अपराधिक षडयंत्र रचा, फिर भी धारा-१२०बी आई०पी०सी० का अपराध प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज करना विवेचना को गलत साबित करता है। मजरुब संजय वर्मा जिला झाँसी का चिन्हित भूमाफिया है तथा हत्या व अन्य जघन्य अपराधों के कई मामले पूर्व में उस पर दर्ज है, ने षडयंत्र रच कर स्वयं ही घटना को अंजाम दिया व झूंठी एफ०आई०आर० दर्ज करायी तथा स्वयं के व अन्य गवाहान के बयान दर्ज कराए। वाहन सं०- यू० पी० ९३ए एन ६३०१ पजेरो स्पोर्ट के मौकाए वारदात के फोटोग्राफ भी स्पष्ट करते है कि उक्त वाहन के पीछे व सामने अन्य साइड के शीशों पर खरोंच तक के निशान नहीं है। तब चारों ओर से कुल ९ नामजद व २-३ अज्ञात कुल १२ अभियुक्तगण द्वारा एफ०आई०आर० के मुताबिक चारों ओर से उक्त पजेरो गाड़ी को अभियुक्तगण द्वारा गोली चलाने वाली बात भी असत्य है। अतः प्रार्थी को उपरोक्त मु०अ०सं०-३४४/१८ से डिस्चार्ज करने की याचना की गई है।

इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की ओर से भी प्रार्थना पत्र १२बी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह को उपरोक्त प्रकरण में रंजिशन, साजिशन झूंठा फंसा दिया गया है, जबकि प्रार्थी ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई भी अपराध नहीं किया है। धारा-१४९ आई०पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त को विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रुप में दर्शाते हुए सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये किये गये अपराध जिसमें कि

उसके द्वारा घातक आयुध से सज्जित होकर बल्बा कारित किया गया और हत्या व प्राणघातक हमले के साथ साथ अपराधिक षडयंत्र का अपराध कारित करना बताया गया है, जो कि बिल्कुल असत्य तथ्यों पर आधारित है। धारा-१४७,१४८,१४९,३०२,३०७ भा०द०सं० का अपराध कारित करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त का, घटना की दिनांक-२१.०७.२०१८ को घटनास्थल स्थित कचहरी चौराहा के पास झांसी पर उपस्थित होना नितान्त आवस्यक हो जाता है जबकि वादी मुकदमा ने, घायल संजय वर्मा, मजरूब रवि वर्मा, मजरुब सुनील कुशवाहा, चश्मदीद साक्षी अजय सोनी, प्रतीक वर्मा, गौरव शर्मा इन सभी ने विवेचना में बताया है कि दिनांक-२१.०७.२०१८ को समय १.३० बजे संजय वर्मा पजेरो स्पोर्ट गाड़ी से कचहरी चौराहा से मुडकर बस स्टैण्ड की तरफ चलने पर वहां स्थित मंदिर से पहले एक ट्रक खड़ा हुआ था एवं १ लोडर नीले रंग का था जिसकी आड में से अचानक प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य ८ नामजद सह अभियुक्तगण एवं दो तीन अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में कट्टा पिस्टल लेकर आये और अंधाधुंध जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी चारों तरफ से घेरकर गोलिया चलाई गई। इस प्रकार घटना में प्रार्थी/अभियुक्त को वादी तथा समस्त मौके पर मौजूद गवाहान ने गाड़ी को घेरकर गोली चलाने का रोल बताया गया है। तथाकतित घटना दोपहर १.३० की दर्शायी गयी है जबकि विवेचक द्वारा दिनांक-३१.१०.२०१८ को लिखे सीडी के पर्चे में बताया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में सी०आई०एस०एफ० कमाण्डेन्ट को पत्राचार किया, विशेष वाहन कान्सटेबिल १४४३ आलोक यादव को दिनांक-१४.१०.२०१८ को आगरा रवाना किया गया जो दिनांक-१७.१०.२०१८ को वापस आया। पैनड्राइव में आगरा स्थित, ताजमहल के पूर्वी सुरक्षा द्वार पर ली गई सुरक्षा हेतु आम जनता की चैकिंग की दिनांक-२१.०७.२०१८ की समय १०.४७ बजे की सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग प्राप्त की। सिस्टम में पैनड्राइव लगाकर मजरुफ संजय वर्मा एवं उनके गनर राजेन्द्र कुशवाहा की उपस्थित में देखा गया एवं पैन ड्राईव को कागज में रखकर सील कर उसका नमूना शील बनाया गया, इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह, पैन ड्राईव में सह अभियुक्त प्रहलाद के साथ-२ आगरा स्थित ताजमहल में स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। उक्त पैन ड्राईव विवेचक ने सह अभियुक्त प्रहलाद की विवेचना में मा० न्यायालय के आदेश से शामिल की है। विवेचना सम्पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय सी०जे०एम० झाँसी की अदालत में आ चुकी है तथा उसमें सम्मिलित पैन ड्राईव को चलवाकर, अभियुक्त/प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह को इसी आधार पर डिस्चार्ज किये जाने की याचना की है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त लिखित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए यह भी तर्क रखा गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्तगण ने तथाकथित अपराध कारित नही किया है। अभियुक्तगण को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का कोई साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचक द्वारा बाद विवेचना साक्ष्य संकलित कर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसपर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्तगण के दोष को कौन-कौन से साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है। अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथमदृष्टया आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित किया जाये। अभियुक्तगण का उन्मोचन हेतु प्रार्थना पत्र बलहीन है तथा निरस्त किया जाये।

सुना एवं केस डायरी एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा संचित वर्मा पुत्र संजय वर्मा की तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद जिला झाँसी में अ०सं०- ३४४/२०१८, अन्तर्गत धारा-१४७, १४८,१४९,३०२,३०७ व ५०६ भा०द०सं० नामजद विरुद्ध अभियुक्तगण सोनू गेडा, रिंकू गेडा, बाबी गेडा, अंगद गुर्जर, प्रलाद गुर्जर, ऊधम गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर व पुष्पेन्द्र गुर्जर पंजीकृत की गई, जिसका खुलासा कायमी मुकदमा रोजनामचा आम में किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना सुसंगत प्रपत्र संकलित किये गये, स्थल मानचित्र तैयार किया गया एवं साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। शव विच्छेदन रिपोर्ट, नक्शा पंचायतनामा आदि सुसंगत अभियोजन प्रपत्र भी तैयार किये गये। विवेचना से संतुष्ट होकर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सोनू गेडा, ऊधम गुर्जर, पुष्पेन्द्र गुर्जर, गौरव उर्फ मोंटी व कमलेश यादव के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-०४/२०१९ दिनांकित-०६.०५.२०१९ पंजीकृत अ०सं०-३४४/२०१८ अन्तर्गत धारा -१४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०६ व १२०बी भा०द०सं० प्रेषित किया गया है, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए अन्तर्गत धारा-१४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०६ व १२०बी भा०द०सं० दिनांक-२७.०५.२०१९ को प्रसंज्ञान लिया गया। मामला अनन्य रुप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र न्यायालय में सत्र वाद सं०-१०२/२०१९ राज्य बनाम ऊधम गुर्जर आदि अन्तर्गत धारा-१४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०६ व १२०बी भा०द०सं० पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण सोनू गेडा के विरुद्ध आरोप पत्र मफरुरी में प्रस्तुत किया गया। अतः अभियुक्त सोनू गेडा की पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी के द्वारा पृथक कर दी गई है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्तगण ऊधम गुर्जर व भूपेन्द्र सिंह कथित घटना कि तिथि व समय पर घटना स्थल से बहुत दूर थे और उन्हें झूंठा फंसाया जा रहा है। अपने कथनों के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से सूची ११बी के साथ जनपद आगरा के न्यायालय के आदेश पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त भूपेन्द्र गुर्जर की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी में विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में सम्मिलित पैनड्राइव को चला कर देखने की प्रार्थना की गई है। किन्तु उक्त संबंध में **ज्योति प्रकाश त्रिपाठी बनाम उ०प्र० राज्य २००६ इलाहाबाद दण्ड निर्णय पेज १८६** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचन के स्तर पर केवल उन्हीं दस्तावेजों को देखा जा सकता है और उन पर ही विचार किया जा सकता है, जिन्हें अन्वेषण अधिकारी ने प्रस्तुत किया हो। बचाव पक्ष के समर्थन के अभिलेखों को केवल विचारण में बचाव पक्ष के साक्ष्य के समय ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाढ़ी (२००५) १ एस सी सी५६८** में यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचन के स्तर पर बचाव पक्ष के साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन व अन्य २०१४(८४) ए सी सी ६५६** में यह अवधारित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रकरण में न्यायालय को इस उपधारणा के साथ अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री सत्य है। उन सामग्रियों एवं अभिलेखों का जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये है, इस दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनसे उदभूत होने वाले तथ्यों से अभ्यारोपित आरोप के तथ्य उद्घाटित होते है, परन्तु इसके लिए उन सामग्रियों अथवा अभिलेखों की गहनता से परीक्षण आवश्यक नहीं है, वरन उनसे प्रथमदृष्टया अपराध का प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। विधि इस स्तर पर लघु विचारण की अनुमति नहीं देती है। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था अत्याचार निरोधी परिषद बनाम दिलीप (१९८९) १ एस सी सी ७१५ एस सी** में यह अवधारित किया गया हैकि आरोप बनने

का मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त दण्डित होगा, किन्तु अभियुक्त का विचारण होगा और यह भी कहा गया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि साक्ष्यों का आकलन किया जाये।

इसी क्रम में यह सुस्थापित विधि है कि संज्ञान अपराध का लिया जाता है, न कि अपराधी का। अतः आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर ही दोषसिद्धि के प्रयोजन से सामग्री की पर्याप्तता की अपेक्षा नहीं की जाती है और उन्मोचन का अनुरोध केवल तभी अनुज्ञात किया जाता है। यदि न्यायालय यह पाता है कि सामग्री विचारण के प्रयोजन से पूर्णतया अपर्याप्त है। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि जबकि किसी अभियुक्त के विरुद्ध यहां तक कि ठोस संदेह उत्पन्न करने वाली सामग्री भी हो, तो न्यायालय उन्मोचन के अनुरोध को नामंजूर करने और विधि के अनुसार सम्पूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर लाने हेतु अभियोजन को अवसर प्रदान करने में न्यायोचित होगा जिससे कि दोनो ही पक्षों के मामलों पर विचारण की समाप्ति पर समुचित रुप से विचार किया जा सकेगा।

विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर अभियोजन की साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करना अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन, पत्रावली के परिशीलन एवं पक्षकारों के तर्कों को सुनने के उपरान्त यही निष्कर्षित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्द प्रथमदृष्ट्या अपराध अन्तर्गत धारा-१४७,१४८, ३०२/१४९,३०७/१४९,५०६ व १२०बी भा०द०सं० बनता है। इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरुद्द उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने का संतोषजनक आधार है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण ऊधम सिंह व भूपेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र १० बी व १२बी बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण गौरव उर्फ मोंटी व कमलेश यादव की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्क भी बलहीन है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण ऊधम सिंह व भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र गुर्जर की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र १० बी व १२बी निरस्त किये जाते है। इसके अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण गौरव उर्फ मोंटी व कमलेश यादव की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई आपत्तियों को भी निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण ऊधम गुर्जर, गौरव उर्फ मोंटी, कमलेश यादव व पुष्पेन्द्र गुर्जर उर्फ भूपेन्द्र सिंह औपचारिक आरोप अन्तर्गत धारा-१४७, १४८, ३०२/१४९, ३०७/१४९, ५०६ व १२०बी भा०द०सं० के विरचन हेतु व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित हैं। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु अपराह्न ०२.०० बजे पेश हो।

(नितेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०-४, झांसी।